न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 62 / 2019

1 श्रीमती भंवरी बेवा पेमराज जाति ब्राह्मण निवासिनी सिहोट बड़ी, तहसील धोद जिला सीकर–राज.

अपीलांट

बनाम

1 बजरंग लाल पुत्र सुरजमल
2 रामलाल पुत्र सुरजमल
3 भगवानाराम पुत्र सुरजमल समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर–राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.07.2019 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी धोद, मुख्यालय, सीकर
बउनवानी प्रकरण श्रीमती भंवरी बनाम बजरंग लाल
आदि मुकदमा नम्बर– 123 / 2014

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बनवारी लाल बरवड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील न्यायालय ★ सीकर ★ सत्यमेव जयते

–निर्णय–

दिनांकः– 03.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 123/2014 में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2019 विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत कर स्वंय की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 498 वाके ग्राम सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 496 में से 15 फिट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थीया/अपीलार्थी के खेत खसरा नम्बर 498 रकबा 1.28 हैक्टेयर ग्राम सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर के आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है एवं न ही कोई उक्त रास्ते से कम दूरी का रास्ता भी मौजूद नहीं है। तहसीलदार धोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31.01.2017 के नजरी नक्शे में स्पष्ट रूप से भूमि खसरा नम्बर 498 रकबा 1.20 हैक्टेयर के आवागमन का रास्ता खसरा नम्बर 496 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे होना बताया है तथा तहसीलदार धोद द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में प्रार्थीया/अपीलार्थी के खेत में आने जाने के लिये सबसे निकटतम कटाणी रास्ते से मिलता है। प्रार्थीया/अपीलार्थी के खेत खसरा नम्बर 498 के लगता हुआ अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। तहसीलदार धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31.01.2017 में तहसीलदार धोद ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रार्थीया/अपीलार्थी के वर्तमान में कोई रास्ता मौजूद नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में विवेचन किया गया है कि तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गया रास्ता 138 मीटर लम्बा है। जबकि मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2019 में प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 500 व 501 में से 35-40 मीटर लम्बा है। ऐसी स्थिति में निकटतम रास्ते की मांग नही करने के कारण आवेदन खारिज किया है। वस्तु स्थिति यह है कि खसरा नम्बर 500 व 501 में अंकित डोटेड लाईन का रास्ता राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 31.01.2017 में तहसीलदार ने स्पष्ट अंकन किया है कि अपीलांट के खेत मे आवागमन हेतु मौके पर कोई रास्ता मौजुद नही है एवं प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है। इसके विपरित तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.06.2019 को खसरा नम्बर 500 व 501 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। दोनो मौका रिपोर्ट परस्पर विरोधाभाषी है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 31.01.2017 पर आपत्ति प्रस्तुत होने पर पुन दिनांक 19.06.2019 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। दिनांक 19.06.2019 की मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 500 व 501 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 498 से मात्र 35-40 मीटर की दूरी पर है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया/अपीलार्थी के खेत खसरा नम्बर 498 रकबा 1.28 हैक्टेयर ग्राम सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर के आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है एवं न ही कोई उक्त रास्ते से कम दूरी का रास्ता भी मौजूद नहीं है। तहसीलदार धोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31.01.2017 के नजरी नक्शे में स्पष्ट रूप से भूमि खसरा नम्बर 498 रकबा 1.20

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हैक्टेयर के आवागमन का रास्ता खसरा नम्बर 496 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे होना बताया है तथा तहसीलदार धोद द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में प्रार्थीया/अपीलार्थी के खेत में आने जाने के लिये प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम कटाणी रास्ते से मिलता है। प्रार्थीया/अपीलार्थी के खेत खसरा नम्बर 498 के लगता हुआ अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। तहसीलदार धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31.01.2017 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रार्थीया/अपीलार्थी के वर्तमान में कोई रास्ता मौजूद नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में विवेचन किया गया है कि तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता 138 मीटर लम्बा है। जबकि मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2019 में प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 500 व 501 में से 35–40 मीटर लम्बा है। ऐसी स्थिति में निकटतम रास्ते की मांग नही करने के कारण आवेदन खारिज किया है। वस्तु स्थिति यह है कि खसरा नम्बर 500 व 501 में अंकित डोटेड लाईन का रास्ता राजस्व रिकार्ड में गैर मुमंकिन रास्ते के रूप में दर्ज नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 31.01.2017 में तहसीलदार ने स्पष्ट अंकन किया है कि अपीलांट के खेत मे आवागमन हेतु मौके पर कोई रास्ता मौजुद नही है एवं प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है। इसके विपरित तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.06.2019 को खसरा नम्बर 500 व 501 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। दोनो मौका रिपोर्ट परस्पर विरोधाभाषी है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की भावना के अनुरूप अपीलांट को सहायता प्रदान नही कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर